

3. That the time period within which the project shall be completed by me/promoter is Sixty months.
4. That seventy percent of the amounts realised by me /promoter for the real estate project from the allottees, from time to time, shall be deposited in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost and shall be used only for that purpose.
5. That the amounts from the separate account, to cover the cost of the project, shall be withdrawn in proportion to the percentage of completion of the project.
6. That the amounts from the separate account shall be withdrawn after it is certified by an engineer, an architect and a chartered accountant in practice that the withdrawal is in proportion to the percentage of completion of the project
7. That I / promoter shall get the accounts audited within six months after the end of every financial year by a chartered accountant in practice, and shall produce a statement of accounts duly certified and signed by such chartered accountant and it shall be verified during the audit that the amounts collected for a particular project have been utilized for the project and the withdrawal has been in compliance with the proportion to the percentage of completion of the project.
8. That I / promoter shall take all the pending approvals on time from the competent authorities.
9. That I /promoter have/has furnished such other documents as have been prescribed by the rules and regulations made under the Act.
10. That I /promoter shall not discriminate against any allottee at the time of allotment of any apartment, plot or building, as the case may be on any grounds

Verification

The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me there from. Verified by me at on this day of

Date 30-08-2025

- *A*
30/8/25
Deponent
अधिशाली अभियन्ता
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

- *A*
30/8/25
Deponent
अधिशाली अभियन्ता
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर



Identified
21
30/08/2025

SI No. 432
Attested The Sign here Thumb Impression
Sri Smt. Km. Praveen Gupta
Who signed on his/her thumb impression
before me on this 30.08.2025
and who has permitted the due execution of
his/ her 2 PIM she identified
by shri. A. Kumar Adv
Arjun Kumar
Collectorate Gorakhpur
30.08.2025

कार्यालय: गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।


पत्रांक: 1246(1) /नियो0अनु0/गो0वि0प्रा0/2024-25, दिनांक: 25/02/2025

अधिक्षण अभियन्ता,
सहायक सम्पत्ति अधिकारी,
गो0वि0प्रा0, गो0 ।

कृपया दिनांक: 20.02.2025 को सम्पन्न प्राधिकरण बोर्ड की 127वीं बैठक में, 126वीं बोर्ड बैठक के प्रस्ताव संख्या 126.09 के अनुपालन में अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा ग्राम-लच्छीपुर, गोरखपुर के अन्तर्गत प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कुश्मी इन्कलेव ग्रुप हाउसिंग योजना का पुनरीक्षित तलपट मानचित्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः कुश्मी इन्कलेव ग्रुप हाउसिंग योजना के पुनरीक्षित तलपट मानचित्र की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


प्रभारी अधिकारी नियोजन
नियोजन अनुभाग
026

कार्यालय: गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

पत्रांक: 753 /नियो0अनु0/गो0वि0प्रा0/2025-26, दिनांक: 20/09/2025

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
गो0वि0प्रा0, गोरखपुर।

विषय: कुश्मी इन्कलेव ग्रुप हाउसिंग योजना (पुनरीक्षित) के अनुमोदन तथा वैधता के सम्बन्ध।

महोदय,


कृपया उक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्रांक: मेमो, दिनांक: 19.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम रेरा में अपलोड **कुश्मी इन्कलेव ग्रुप हाउसिंग योजना (पुनरीक्षित)** पर, रेरा द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अर्जन अनुभाग की आख्या दिनांक: 20.09.2025 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा ग्राम-लच्छीपुर, तप्पा-कस्बा, पगरना-हवेली तहसील-सदर जनपद-गोरखपुर अधिग्रहित भूमि/आराजी नम्बर-804 मि0 रकबा-0.458 हेक्टेयर, 917 मि0 रकबा-0.275 हेक्टेयर, 918 मि0 रकबा-0.352 हेक्टेयर, 919 मि0 रकबा-0.324 हेक्टेयर, 920 रकबा-0.158 हेक्टेयर, 921 रकबा-0.101 हेक्टेयर, 939 रकबा-0.085 हेक्टेयर, 940 रकबा-0.117 हेक्टेयर तथा 941 मि0 रकबा-0.041 हेक्टेयर अर्थात कुल रकबा-1.911 हेक्टेयर अर्थात 4.72 एकड़ भूमि योजना हेतु प्रस्तावित है।

उक्त आराजियात पर प्रस्तावित **कुश्मी इन्कलेव ग्रुप हाउसिंग योजना (पुनरीक्षित)** के तलपट मानचित्र का अनुमोदन दिनांक: 20.02.2025 को सम्पन्न प्राधिकरण बोर्ड की 127वीं बैठक में, 126वीं बोर्ड बैठक के प्रस्ताव संख्या 126.09 के अनुपालन में, प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित **कुश्मी इन्कलेव ग्रुप हाउसिंग योजना (पुनरीक्षित)** की वैधता, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के बिन्दु सं0-2.7.4.1 "विकास अनुज्ञा की वैधता" के अनुसार एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम 5 वर्ष के लिए वैध होगी तथा उक्त अवधि के बाद अधिकतम 3 वर्ष हेतु समय विस्तार दिया जा सकता है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी नियोजन
नियोजन अनुभाग